UPJS010069912023

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–2, झाँसी।

उपस्थित: देवाशीष (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(आई०डी०–UP1596)

निर्णय तिथि–12.06.2026

सत्र वाद संख्या–1394/2023

शिकायतकर्ता	श्रीमती मीरा पत्नी आज्ञाराम, निवासी–ग्राम चाकी, थाना गोहन, जिला जालौन/उत्तर प्रदेश राज्य
अभियुक्त	राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह पुत्र रविन्द्र , निवासी–ग्राम ढुरवई, थाना टोडीफतेहपुर, जिला झांसी हाल निवासी–मुहल्ला बघा, कस्बा व थाना मऊरानीपुर, जिला झाँसी।
अन्तर्गत धारा	धारा–306 भा०दं०सं०
मुकदमा अपराध संख्या	560/2022
थाना	मऊरानीपुर
जिला	झाँसी।

निर्णय

1– प्रस्तुत प्रकरण विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त मु०अ०सं०–560/2022 के मामले में अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा –306 भा०दं०सं० में प्रेषित आरोपपत्र के आधार पर परीक्षण हेतु योजित किया गया है।

2– प्रथम सूचक/वादिनी मुकदमा श्रीमती मीरा पत्नी आज्ञाराम, निवासी ग्राम चाकी, थाना गोहन, जिला जालौन द्वारा दिनांक–05.12.2022 को थाना प्रभारी, थाना मऊरानीपुर, झांसी को लिखित तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि– दिनांक–04.12.2022 को मेरे पुत्र सत्येन्द्र ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। मेरे पुत्र सत्येन्द्र को राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह पुत्र रविन्द्र व ब्रजेश पुत्र मल्लन श्रीवास निवासीगण –मुहल्ला बघा, थाना मऊरानीपुर, जिला झांसी ने गालियां व धमकियां दी थी, जिससे क्षुब्ध होकर मेरे बेटे सत्येन्द्र ने आत्महत्या कर ली है।

Digitally signed by DEVASHISH
Date: 2026.06.12 11:59:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– वादिनी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह व ब्रजेश के विरूद्ध अ०सं०–560/2022 अन्तर्गत धारा–306 भा०दं०सं०, थाना मऊरानीपुर, झांसी जनपद में पंजीकृत किया ग्या।

4– सर्वप्रथम दिनांक–05.12.2022 को एस०आई० प्रशान्त यादव द्वारा घटनास्थल पर मृतक के शव का पंचायतनामा प्रदर्श क–5 भरा गया। पंचायतनामा से सम्बन्धित दीगर कागजात नमूना शील मोहर, फोटो लाश, चालान लाश तैयार कर शव को सील मोहर कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम डॉ० उदल श्रीवास द्वारा किया गया, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–4 है।

5– दौरान विवेचना वादिनी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–12 तैयार किया गया। सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा –306 भा०दं०सं० का आरोप–पत्र न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–1, झांसी में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक–01.08.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया।

6– अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा–207 दं०प्र०सं० अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉं प्रदत्त करने के उपरान्त अवर न्यायालय द्वारा मामले को अनन्यतः सत्र परीक्षणीय पाते हुये सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांकित–10.11.2023 द्वारा माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पित की गयी, जिसके आधार पर सत्र न्यायालय, जनपद झांसी में सत्र वाद सं०–1394/2023, सरकार बनाम राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह के रूप में प्रश्नगत सत्र वाद संस्थित हुआ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया के आदेशानुसार सत्र वाद की पत्रावली स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को दिनांक–11.02.2026 को प्राप्त हुई है, जिस पर विचारणोपरान्त निर्णय पारित किया जा रहा है।

7– प्रश्नगत मामले में आदेश दिनांकित–03.01.2024 द्वारा अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–306 भा०दं०सं० विरचित किया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

8– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी के रूप में प्रस्तुत साक्षीगण व उनके द्वारा साबित प्रपत्र निम्नवत हैः–

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी प्रकार	साबित प्रपत्र
पी०डब्लू०–1	मीरा खंगार	वादिनी मुकदमा/ प्रथम सूचक	प्रार्थनापत्र/तहरीर
पी०डब्लू०–2	रामकुमार	पंचायतामा साक्षी	–
पी०डब्लू०–3	हे०कां० श्याम बाबू	एफ०आई०आर० व कायमी लेखक	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी०डी०

पी०डब्लू०–4	डॉ० उदल श्रीवास	पोस्टमार्टमकर्ता साक्षी	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पी०डब्लू०–5	उपनिरीक्षक प्रशान्त यादव	पंचायतनामा साक्षी	पंचायतनामा, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन झाँसी को सम्बोधित प्रार्थनापत्र, अधीक्षक मऊरानीपुर झांसी को सम्बोधित प्रार्थनापत्र, नमूना सील मोहर, पुलिस फार्म नं० –33, चालान लाश, फोटो लाश
पी०डब्लू०–6	वीर सिंह	विवेचक	नक्शानजरी घटनास्थल, एफ०एस०एल० रिसीविंग की प्रति, आरोपपत्र

9– अभियोजन पक्ष द्वारा साबित कराये गये प्रपत्रों की सूची निम्न टाईपशुदा है:–

प्रपत्र का प्रकार	**प्रदर्श संख्या**
प्रार्थनापत्र/तहरीर	1
चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	2
कायमी जी०डी०	3
पोस्टमार्टम रिपोर्ट	4
पंचायतनामा	5
प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन झाँसी को सम्बोधित प्रार्थनापत्र	6
अधीक्षक मऊरानीपुर झांसी को सम्बोधित प्रार्थना पत्र	7
नमूना सील मोहर	8
पुलिस फार्म नं०–33	9
चालान लाश	10
फोटो लाश	11
नक्शानजरी घटनास्थल	12
एफ०एस०एल० रिसीविंग प्रति	13
आरोपपत्र	14
विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट	15

तत्पश्चात दिनांक–03.07.2025 को अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया तथा पत्रावली धारा–313 दं०प्र०सं० हेतु नियत की गई।

10– अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन कथानक को गलत होना बताते हुए साक्षी पी०डब्लू०–1, पी०डब्लू०–2 द्वारा गलत बयान देने का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू०–3, पी०डब्लू०–4 व पी०डब्लू०–6 के बयान के बारे में कोई जानकारी न होने का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू०–5 द्वारा गलत चार्जशीट प्रस्तुत करने का कथन किया है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है।

अभियुक्त ने अतिरिक्त कथन किया है कि मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी और न ही उकसाया है।

अभियुक्त पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू०–1 के रूप में दृगपाल को परीक्षित कराया गया है।

11– मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

12– आपराधिक वाद में अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। न्यायालय को यह निर्णीत करना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

13– अभियुक्त पर यह आरोप है कि दिनांक –04.12.2022 को अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा के पुत्र सत्येन्द्र को गालियां व धमकी देकर अपमानित किया और वादिनी मुकदमा के पुत्र को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया, जिससे क्षुब्ध होकर वादिनी मुकदमा के पुत्र सत्येन्द्र ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली।

14– अभियुक्त सुनील का विचारण अन्तर्गत धारा–306 भा०दं०सं० के अन्तर्गत किया जा रहा है, जो निम्नवत हैः–

धारा–306 भा०दं०सं० में अवधारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारवास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

15– अभियोजन की ओर से **कुल 06** अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य अंकित कराया गया है। सर्वप्रथम साक्षीगण के साक्ष्यों को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा।

16– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पी०डब्लू०–1 मीरा खंगार/वादिनी मुकदमा** ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि– मेरे लड़के का नाम सत्येन्द्र उर्फ ढुडकन है जो एम्बुलेन्स देखरेख का काम करता था। दिनांक–04.12.2022 समय करीब 01 बजे दिन में मेरे पुत्र ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मेरे पुत्र को राजा उर्फ प्रवेन्द्र पुत्र रविन्द निवासी ग्राम धुरवई जो मेरे ही मुहल्ले मउरानीपुर में, जहां मैं रहती थी, वहीं रहता था, जो मेरे लड़के सत्येन्द्र से आये दिन बदतमीजी करता था, क्योंकि उसका एम्बुलेन्स चलाने को लेकर मेरे बेटे से झगड़ा होता था। राजा उर्फ प्रवेन्द्र कहता था कि यहां एम्बुलेन्स मत चलाओ। जिस दिन मेरे लड़के ने सल्फास खाया था, उस दिन राजा उर्फ प्रवेन्द्र ने मेरे बेटे सत्येन्द्र को धमकी दी थी और गालियां देते हुए कहा था कि यहां एम्बुलेन्स मत चलाओ चाहे कहीं जाकर मर जाओ। राजा उर्फ प्रवेन्द्र के इस तरह धमकाने से मेरा बेटा डर गया और क्षुब्ध हो गया और मेरे बेटे ने राजा उर्फ प्रवेन्द्र के उकसावे में आकर कि जाकर कहीं मर जा, इस कारण से सल्फास खा लिया। सल्फास खाने के बाद मेरा बेटा चिल्लाया था, मैं पास में ही थी, मैंने उससे पूछा था तो उसने वो बात बताई और कहा कि सल्फास खा लिया है तो मैंने तुरंत अपने लड़के सत्येन्द्र को झांसी ईलाज हेतु ए–लाइफ अस्पताल जो मेडिकल गेट नं०–3 के सामने है, भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गयी। फिर मैं उसे लेकर मऊरानीपुर सी०एच०सी० लेकर चली गयी। फिर मैंने दिनांक–05.12.2022 को थाना मउरानीपुर जाकर एक प्रार्थनापत्र किसी से बोलकर लिखवाकर, सुनकर अपने हस्ताक्षर करके थाने पर रिपोर्ट के लिये दिया था, जिस पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या –5A प्रार्थनापत्र देखकर कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है, तस्दीक करती हूं, अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूं, जिस पर **<u>प्रदर्श क–1</u>** डाला गया। मैं अपने बेटे के पोस्टमार्टम के बाद लाश लेकर अंतिम संस्कार के लिये अपने गांव चली गयी थी। बाद में मैं लौटकर मऊरानीपुर आयी थी। दरोगा जी मेरे पास आये थे, मैंने उन्हें अपना बयान दिया था। फिर मैंने उन्हें वह स्थान, जहां पर मेरे बेटे ने एम्बुलेन्स में बैठकर सल्फास खाया था, भी दिखा दिया था।

17– बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी०डब्लू० –1 द्वारा कथन किया गया है कि– मैंने जिस प्रार्थनापत्र को तहरीर लिखने के लिए कहा था, वह थाने से लिया था। वह प्रार्थनापत्र मेरे रिश्तेदारों में से किसी ने लिखा था। उस समय वह प्रार्थनापत्र दरोगा जी ने लिखा था, जो मैंने बोला था, वही दरोगा जी ने लिखा था। लिखने के बाद प्रार्थनापत्र उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया था। मैंने अपनी तहरीर प्रार्थनापत्र में समय बोला था। गवाह को पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या–5A तहरीर पढ़कर सुनायी गई तो उस प्रार्थनापत्र में समय का उल्लेख नहीं है, मैं इसकी वजह नहीं बता सकती कि मेरी तहरीर में घटना का समय लिखा है या नहीं। तहरीर में एम्बुलेन्स वाली बात भी नहीं लिखी है कि मेरा लड़का एम्बुलेन्स चलाता था। तहरीर में जिस अभियुक्त बृजेश पुत्र मल्लन सिंह लिखा था, उसने मेरे लड़के से गाली गलौच की थी और बृजेश ने यह भी कहा था कि मर जा साले।

18– बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा 20.02.2024 में साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा कथन किया गया है कि– मैं एम्बुलेन्स में लड़के के साथ ए–लाइफ हॉस्पिटल गयी थी। मेडिकल कॉलेज नहीं गयी थी, न ही मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी भी नहीं हुई। मेरे साथ एम्बुलेन्स में कोई पुलिस वाला साथ में नहीं गया था, न ही मैंने पुलिस को घटना की सूचना दी थी। मैं मऊरानीपुर अस्पताल अपनी स्वयं की गाड़ी से गयी थी, मैं सरकारी एम्बुलेन्स से नहीं गयी थी, न ही सरकारी एम्बुलेन्स से भेजा गया था। जब मैं लड़के को लेकर झांसी गयी थी तब मैं, मेरा लड़का व ड्राइवर था। मुझे याद नहीं है कि मऊरानीपुर अस्पताल में मेरे लड़के की डॉक्टरी हुई या नहीं, केवल पर्चा बना था, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था और झांसी ले जाने के लिये रेफर कर दिया था। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मेरे लड़के ने जहर खा लिया, न ही किसी ने सूचना दी थी। जब मेरे लड़के ने जहर खाया तब मैं रूम पर थी। यह बात सही है कि मेरे लड़के ने मऊरानीपुर सी०एच०सी० में जहर खाया था। इससे पहले मैंने शिकायत की थी कि ये लोग मेरे लड़के को परेशान करते हैं। घटना होने के दो दिन पहले मेरी व मेरे लड़के की लड़ाई मुल्जिम से हुई थी। ये लड़ाई इस बाबत थी कि मेरा लड़का वहां गाड़ी क्यों चलाता है। इस लड़ाई की घटना के बाद मैं पुलिस के पास शिकायत करने गयी थी, इस लड़ाई में पुलिस मेरे लड़के सतेन्द्र व राजा को थाने पर ले गयी थी। फिर पुलिस ने उन दोनों को रात भर बिठाला था। मैं अगली सुबह अपने लड़के को लेकर वापस आ गयी थी, मुझे नहीं मालूम कि इस घटना के बाद पुलिस ने किसी को जेल भेजा या नहीं। मैं विष्णु को जानती हूं। पहले मेरी 5 एम्बुलेन्स चल रही थी, लेकिन अब मेरे पास एक एम्बुलेन्स है। राजा ने मेरी एम्बुलेन्स किसी काम में नहीं लगायी थी। मैं किशन कुशवाहा, मोहित श्रीवास, सुन्दर को जानती हूं। मेरा लड़का सुन्दर मेरे साथ मेडिकल नहीं आया था, वह हैदराबाद में था। मेरे साथ किशन व मोहित साथ गये थे। मैंने पुष्पेन्द्र बुधौलिया से एम्बुलेन्स खरीदी थी। मेरी कोई एम्बुलेन्स चोरी नहीं हुई थी। मेरा नाम एम्बुलेन्स चोरी में आया था व विष्णु का नाम भी आया था फिर कहा कि मेरा नाम चोरी में नहीं आया था। घटना के दो दिन पूर्व वाली लड़ाई से पूर्व छोटी मोटी लड़ाईयां होती रही, लेकिन मैं थाने नहीं गयी। मैं प्रागीलाल के नाती मोनू को नहीं जानती हूं, न ही मैंने प्रागीलाल के नाती मोनू से कभी फोन पर बातचीत की, न ही मैंने उनसे कुछ पूछा, क्योंकि मैं उसे नहीं जानती। जब मेरे लड़के ने सल्फास खायी तो मैं वहां मौजूद नहीं थी। वह मेरे सामने चिल्लाया था, क्योंकि उसने सल्फास खायी थी। वहां पर पुलिस नहीं होती है, डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर आ गये थे, कितने डॉक्टर आ गये थे मुझे नहीं पता। मैं स्वयं लड़के के पास आयी तो उसने कहा कि उसने सल्फास खा ली है। मैं नहीं बता सकती कि मेरे लड़के ने जहर किस जगह पर खाया था। मैं अपने लड़के से एम्बुलेन्स गाड़ी में मिली थी। मेरे लड़के ने जहर खाने की बात नहीं बतायी थी। दिन का 1 बज रहा था तब मैंने अपने लड़के से पूछा तो उसने बताया कि मैंने सल्फास खा ली है। मैं अपने रूम पर साढे बारह बजे थी। मेरा रूम बघा मोहल्ला मउरानीपुर में है। मैं अपने रूम से पैदल आयी थी। मुझे नहीं पता कि मेडिकल से बघा मोहल्ला कितनी दूर है लेकिन यह बात सही है कि मैं 5 मिनट में अपने रूम से मेडिकल पहुंच जाती हूं। मैं रिया को जानती हूं। रिया के पिता का नाम प्रकाश है। मेरी बात

रिया व उसके पिता व सभी परिवारीजनों से होती थी। मुझे नहीं मालूम कि रिया कहीं भाग गयी थी या नहीं। मुझे नहीं पता कि रिया मेरे लड़के से बात करती थी या नहीं। मेरा लड़का रिया को कहीं भगा के नहीं ले गया था। मैं अपने लड़के को लेकर झांसी दो बजे पहुंची थी और अपने लड़के को 02.15-02.25 बजे भर्ती कराया था। यह बात सही है कि जहां पर मैंने लड़के को भर्ती किया था वहां लिखवा लिया जाता है कि मुझे कोई कार्यवाही करना है या नहीं, मैंने ऐसे किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, ईलाज तुरन्त शुरू हो गया था, फाइल बाद में बनी थी। मैंने डॉक्टर को यह बताया था कि मेरे बेटे ने जहर सल्फास खाली है और इसके अलावा कुछ और नहीं बताया था। मुझे ये याद नहीं कि फाईल कब बनायी गयी थी। फाईल पर मैंने साइन किये थे और किस ने साइन किये थे मुझे नहीं पता। गवाह को पत्रावली पर संलग्न पेपर संख्या 24A/5 पर केशव के हस्ताक्षर दिखाकर पूछा गया कि कैसे केशव के हस्ताक्षर हो गये तो गवाह ने कहा मैं इसकी बजह नहीं बता सकती। मुझे नहीं पता कि रामकिशुन के हस्ताक्षर पेपर संख्या 24A/6 पर हैं या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि कहां हस्ताक्षर कराये थे मैं अकेली अपने लड़के को लिये थे और जहां कहां गया, वहां हस्ताक्षर कर दिये। मैं अपने लड़के सतेन्द्र को मेडिकल से मऊरानीपुर ले गयी। फिर मउरानीपुर से पोस्टमार्टम हाउस ले गयी एवं उसके बाद दिनांक-05.12.2022 को गांव ले गयी थी। मऊरानीपुर में पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ मुझे याद नहीं। मेरे कोई हस्ताक्षर नहीं कराये थे। मुझे पता नहीं है कि मैं गांव कितने बजे पहुंची थी। 6 तारीख को सुबह दाह संस्कार हुआ था। उसके बाद मैं दो दिन गांव में रूकी। मैं दो दिन बाद सीधी अस्पताल मऊरानीपुर आ गयी। मैं अस्पताल में ही रही, कितने दिन रही मुझे याद नहीं। चूंकि मेरी हालत भी खराब थी और एम्बुलेन्स की गाड़ी भी चल रही थी तो मैं अस्पताल में ही रही। मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अकेली ही अस्पताल में रही, फिर मैं गांव चली गयी, क्योंकि मेरे बाबा खत्म हो गये थे। फिर मैं कहीं नहीं गयी। मैंने दरोगा जी को अपने बयानों में यह बयान दिया था कि मैं होश में नहीं थी। मैंने दरोगा जी को अपने बयानों में यह नहीं बताया था कि उसके मुंह से सल्फास की गंध आ रही थी। यदि दरोगा जी ने मेरे बयानों में गंध आने वाली बात लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। मैंने दरोगा जी को अपने बयानों में यह बात बतायी थी कि मैंने अपने लड़के को किस तारीख व समय पर भर्ती कराया, अगर दरोगा जी ने मेरे बयानों में ये बात न लिखी हो तो मैं इसकी बजह नहीं बता सकती। मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था कि मेरे लड़के ने जहर खा लिया है। जिस दिन मैंने मुकदमा लिखाया था उस दिन दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे, फिर कहा कि 4-5 दिन बाद मेरे बयान लिये थे। 4-5 दिन बाद थाने पर मेरे बयान लिये थे, उसके बाद दरोगा जी ने मुझे फिर से थाने पर बुलाया था, मुझे थाने पर क्यों बुलाया था मुझे इस समय याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मृतक बेटे को आत्महत्या के लिये राजा उर्फ प्रवेन्द्र द्वारा न उकसाया गया हो। यह कहना गलत है कि एम्बुलेन्स का विवाद होने के कारण उसके साथ राजा उर्फ प्रवेन्द्र ने दो दिन पूर्व मारपीट न की हो। यह कहना भी गलत है कि मृतक सत्येन्द्र उर्फ ढ्डकन पर काफी कर्ज हो गया हो, जिस कारण से उसने सल्फास खायी हो। यह कहना भी गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रही हूं।

19– उपरोक्त साक्षी प्रकरण की वादिनी मुकदमा व मृतक की माँ है। उक्त साक्षी द्वारा दिनांक–04.12.2022 को उसके पुत्र द्वारा सल्फास खाकर आत्महत्या करने का कथन किया है। उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र द्वारा उसके लड़के सत्येन्द्र के साथ बदतमीजी करने व एम्बुलेन्स चलाने को लेकर झगड़ा होने का कथन किया है। उक्त साक्षी ने राजा उर्फ प्रवेन्द्र द्वारा उसके लड़के सत्येन्द्र को धमकी व गालियां देने व एम्बुलेन्स न चलाने एवं कहीं जाकर मर जाने की कहा, जिस पर उसके बेटे ने राजा उर्फ प्रवेन्द्र के उकसावे में आकर सल्फास खा लेने का कथन किया है। उक्त साक्षी द्वारा प्रार्थनापत्र/तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है।

20– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पी०डब्लू०–2 रामकुमार** ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि– दिनांक–04.12.2022 को मेरी बहन मीरा ने मुझे फोन किया कि सतेन्द्र उर्फ ढुड़कन ने सल्फास खा ली है। सतेन्द्र की मृत्यु हो गयी है, झांसी में हूं। फोन पर मेरी बहन खूब रो रही है, जब बहन ने सूचना दी थी, उस समय मैं अपने गांव नारायणपुरा में था, फिर मैंने सोनू केशव व हाकिम को पूरी बात बतायी तथा सभी लोगों को लेकर झांसी पहुंचे, अपनी बहन मीरा से संपर्क किया फिर मेडिकल कॉलेज गेट नं०–1 के सामने ए–लाइफ अस्पताल में होना बताया। वहां हम सभी लोग पहुंचे तथा अपने मृतक भांजे सतेन्द्र के शव को लेकर झांसी से रात्रि में सरकारी अस्पताल मऊरानीपुर में शव रखवा दिया। बाद में मेरे भांजे का पोस्टमार्टम हुआ और फिर हम लोग मीरा के गांव चाकी में जाकर उसका अंतिम संस्कार किया था। जब मेरे भांजे सतेन्द्र का पंचायतनामा दरोगा जी भर रहे थे, उस समय काफी भीड़ लगी हुयी थी, जिसमें मैंने सुना था कि राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह मेरे भांजे सतेन्द्र को बहुत प्रताड़ित करता था। इसी कारण से मेरे भांजे सतेन्द्र ने सल्फास खायी तथा उसकी मृत्यु हो गयी। पंचायतनामे की कार्यवाही में मुझे भी पंच बनाया गया था। पंचायतनामा की लिखापढी मेरे सामने हुयी थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या–8A लगायत 8A/2 को देखकर कहा कि यह लिखापढी दरोगा जी ने की थी। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं, जिसे लाल घेरे से घेरा गया। इस सम्बन्ध में विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

21– बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी०डब्लू० –2 द्वारा कथन किया गया है कि– पंचायतनामा में लिखापढी हुयी थी। बृजेश नाम का लड़का उसी गांव में रहता था, मैं उसे जानता नहीं हूं, दो तीन लोगों में वह था जो घटना में साथ थे। मृतक के पास दो तीन गाड़ियां थी। राजा उर्फ प्रवेन्द्र के नाम कुछ गाड़ियां थी। पंचायतनामा मऊरानीपुर अस्पताल में हुआ था। मुझे ध्यान नहीं है कि मुझे किस तारीख को सूचना मिली थी, शायद 4 तारीख को सूचना मिली थी। मुझे कम सुनाई देता है। मुझे व बच्चों को फोन किया था, फोन की आवाज मैं सुन लेता हूं, वैसे कम सुनता हूं। मेरे सामने मृतक ने सल्फास नहीं खायी थी। मुझे दरोगाजी ने पंचनामा नहीं पढाया था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पंचायतनामा में क्या लिखा था मुझे नहीं पता। दिन में दो –ढाई बजे पंचायतनामा हुआ था। मैं हस्ताक्षर करना जानता हूं। मुझसे पूछताछ नहीं की थी। यह

कहना गलत है कि आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह मेरे भांजे सतेन्द्र को प्रताड़ित न करता हो।

22– उपरोक्त साक्षी मृतक का मामा है। उक्त साक्षी द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही के दौरान भीड़ से राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह द्वारा उसके भान्जे सतेन्द्र को प्रताड़ित करने, जिस कारण से सत्येन्द्र द्वारा सल्फास खाने और उसकी मृत्यु होने की बात सुनने का कथन किया है। उक्त साक्षी द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही में उसे भी पंच बनाने का कथन किया है।

23– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पी०डब्लू०–3 हे०कां० श्याम बाबू** ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि– दिनांक–05.12.2022 को मैं थाना मऊरानीपुर में बतौर कांस्टेबल क्लर्क कार्यलेखक के पद पर तैनात था। उसी दिनांक को मेरे समक्ष वादी मुकदमा श्रीमती मीरा पत्नी आज्ञाराम खंगार निवासी ग्राम चाकी थाना गोहन जिला जालौन हाल पता मोहल्ला बघा थाना मउरानीपुर जिला झांसी ने थाने पर आकर एक किता हस्तलिखित प्रार्थनापत्र दिया था, उस प्रार्थनापत्र के आधार पर मैंने मुकदमा अपराध संख्या–560/2022 धारा–306 भा०दं०सं० बनाम राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह पुत्र रविन्द्र, बृजेश पुत्र मल्लन श्रीवास निवासीगण मोहल्ला बघा थाना मउरानीपुर जिला झांसी के विरूद्ध दिन के समय 12.11 बजे मुकदमा पंजीकृत किया था। वादी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र को हूबहू शब्द व शब्द मैंने टाइप किया था तथा टाइप होने के उपरान्त मैंने तहरीर से मिलान कर लिया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट का उल्लेख मैंने कायमी जी०डी० संख्या 28 दिनांकित 05.12.2022 समय 12.11 बजे अंकित किया था। पत्रावली में संलग्न पेपर संख्या 4A/1 लगायत 4A/3 को गवाह ने बताया कि यह वही प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जो मेरे द्वारा किता की गयी थी, जिसको मैं प्रमाणित करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। पत्रावली में संलग्न पेपर संख्या–7A जी०डी० को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही कायमी जी०डी० है जो मेरे द्वारा किता की गयी थी, जिसे मैं प्रमाणित करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। उक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा मेरे बयान लिये गये थे।

24– बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी०डब्लू० –3 द्वारा कथन किया गया है कि– मैं थाना मऊरानीपुर में कांस्टेबल मोहर्रर के पद पर तैनात था तभी वादिया मुकदमा पंजीकरण हेतु मेरे समक्ष आयी थी। वादी मुकदमा मेरे पास अपने भाई के साथ थाना कार्यालय पर सीधा मेरे पास आयी थी। वादिया पूर्व से हस्तलिखित तहरीर लेकर आयी थी। उसी तहरीर के आधार पर मैंने मुकदमा पंजीकृत किया था। मैंने मुकदमा पंजीकरण से पहले किसी उच्चाधिकारी से कोई परमीशन नहीं ली थी। पहले वादी मुकदमा ने मुझे घटना के बारे में बताया था, फिर तहरीर दी थी। मैंने तहरीर पढने से पहले पढी थी। यह कहना गलत है कि जो मैंने बताया था, वही वादिया ने तहरीर में लिखा हो। मैंने पहले जी०डी० कायमी तैयार की थी, बाद में एफ०आई० आर० दर्ज की थी।

जी०डी० में घटना के बारे में लिखा है, लेकिन पूरी तहरीर जी०डी० में अंकित नहीं की जाती है एवं तहरीर का विवरण एफ०आई०आर० में अंकित किया था। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हूं। यह कहना भी गलत है कि वादिया पहले से हस्तलिखित प्रार्थनापत्र लेकर न आयी हो, बल्कि मेरे द्वारा बताये जाने पर थाने पर बैठकर तहरीर लिखी गयी हो।

25– उपरोक्त साक्षी प्रकरण का प्रथम सूचना लेखक व कायमी जी०डी० लेखक साक्षी है। उक्त साक्षी द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 व कायमी जी०डी० को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया है।

26– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पी०डब्लू०–4 डॉ० उदल श्रीवास** ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि– दिनांक–05.12.2022 को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मउरानीपुर में बतौर चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन मेरे समक्ष मृतक सतेन्द्र उर्फ ढुडकन पुत्र आज्ञाराम उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी चाकी थाना गोहन जिला जालौन का शव, सर्वसील हालत में होमगार्ड 810 भगवानदास थाना मऊरानीपुर मय पुलिस प्रपत्रों के लेकर आये थे। शव की शिनाख्त किशन पुत्र बृजभान निवासी बघा मोहल्ला मऊरानीपुर एवं मृतक के मामा रामकुमार पुत्र बाबू सिंह ने की थी। शव का विच्छेदन मैंने दिनांक–05.12.2022 को दोपहर 03.00 बजे आरम्भ किया था तथा दोपहर 04.00 बजे समाप्त किया था। **बाह्य परीक्षण**– शव सामान्य कद काठी का था, उसकी लम्बाई 163 सेमी० थी, पूरे शरीर पर अकड़न मौजूद थी, आंखे बंद थी, शव के शरीर पर निम्न सामान प्राप्त हुए थे, जिनमें 1. शर्ट लाल काली चैकदार, 2. बनियान सैण्डो स्लेटी, 3. उंगली का छल्ला पीली धातु, 4. हाथ का कड़ा सफेद धातु। शव पर कोई बाहरी चोट मौजूद नहीं थी। **आंतरिक परीक्षण**– हृदय रक्त से भरा था, आंतरिक परीक्षण में कोई फाइंडिंग नहीं मिली थी। अतः मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण कैमिकल एनालिसिस हेतु विसरा प्रिजर्व किये थे। **अभिमत –** मेरी राय में मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने के समय से 18 घण्टे पूर्व होना सम्भव है। गवाह ने पत्रावली में संलग्न पेपर संख्या 8A पंचनामा 8A/1 लगायत 8A/2 का मैंने अवलोकन किया था। मैंने 9A लगायत 9A/3 प्रथम सूचना रिपोर्ट, पेपर संख्या 11A जी०डी०, शव विच्छेदन प्रपत्र 12A, फार्म अधीक्षक जिला चिकित्सालय पेपर संख्या 12A/2, नमूना सील पेपर सं०– 12A/3, पुलिस फार्म 33 पेपर संख्या 13A, शव विच्छेदन पेपर संख्या 14A, फोटोलाश पेपर संख्या 15A का अवलोकन उपरान्त मैंने प्रपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित किये थे। गवाह ने पत्रावली में संलग्न पेपर संख्या 16A लगायत 16A/7 पी०एम० रिपोर्ट को देखकर कहा कि यह वही पी०एम० रिपोर्ट संख्या 350/2022 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, मैं इसकी शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। पी०एम० रिपोर्ट तैयार करने उपरान्त मैंने शव को पुनः सर्वसील मोहर कर मय पुलिस प्रपत्रों के तथा तीन विसरा जार जो पूर्व में एकत्र किये थे, के साथ सर्वसील कर हेड कांस्टेबल 810 भगवानदास को सुपुर्द किये थे। इस सम्बन्ध में विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

27– बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी०डब्लू० –4 द्वारा कथन किया गया है कि– यह बात सही है कि आज मेरे सामने शव के शरीर पर पाये गये कपड़े मौजूद नहीं है। शव की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने के लगभग 18 घण्टे पूर्व होना सम्भव है। यह बात सही है कि मृतक की मृत्यु का स्पष्ट कारण पी०एम० करते समय पता नहीं चला था, इसी कारण विसरा प्रिजर्व किया गया था। मैंने शव पर कोई बाहरी चोट नहीं पायी थी। पी०एम० करने में मुझे एक घण्टे का समय लगा था। यह कहना गलत है कि मैंने स्वंय पी०एम० रिपोर्ट न तैयार की हो। यह कहना भी गलत है मैंने पी०एम० रिपोर्ट गलत ढंग से तैयार की हो।

28– उपरोक्त साक्षी प्रकरण का चिकित्सीय साक्षी है, जिसके द्वारा मृतक सत्येन्द्र उर्फ ढुडकन का पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया। उक्त साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–4 के रुप में साबित किया गया है।

29– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी **पी०डब्लू०–5 उपनिरीक्षक प्रशान्त यादव** ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि– वर्ष 2022 में, मैं थाना मऊरानीपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। मैंने दिनांक–05.12.2022 को सी०एच०सी० मऊरानीपुर मय हमराह होमगार्ड भगवानदास के साथ जाकर सतेन्द्र उर्फ ढुडकन उम्र 23 वर्ष पुत्र आज्ञाराम निवासी चाकी, थाना गोहन जिला जालौन के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही की थी। शव के शरीर पर भूरे रंग की सैन्डो बनियान, लाल चकतेदार शर्ट व निचले हिस्से में कोई वस्त्र नहीं था, केवल डायपर था। मौके पर मौजूद लोगों में से रामकुमार, केशव सिंह, सोनू, हाकिम सिंह व किशन को पंच नियुक्त किया था। मृतक दाहिने हाथ में कड़ा पहने था तथा तर्जनी उंगली में काली अंगूठी थी। हथेली के दूसरी तरफ ओम का निशान व टैटू बना था। बायें हाथ में गोल सर्कल टैटू बना था। शरीर पर चोट के निशान नजर नहीं आ रहे थे। दाहिने कान के अंदर से खून रिस रहा था। पंचों की राय ली थी कि मृतक सतेन्द्र की मृत्यु किसी विषाक्त पदार्थ खा लेने से होना प्रतीत होती है, सही कारण जानने के लिये पोस्टमार्टम करा दिया जाये। मेरी राय भी पंचों की राय से मेल खाती थी। शव को सील मोहर करके आवश्यक प्रपत्र तैयार कर पोस्टमार्टम हेतु एच०जी० भगवानदास को सौंपा था। लिखापढी मौके पर मैंने राय पंचान छोड़कर शेष अपने लेख व हस्ताक्षर में की थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 8A लगायत 8A/2 को देखकर कहा कि मैं इसे तस्दीक करता हूँ, जिस पर **<u>प्रदर्श क–5</u>** डाला गया। कागज संख्या 10A व 11A को देखकर कहा कि मैं इनकी पुष्टि करता हूं। कागज संख्या 12A प्रार्थनापत्र प्रतिसार निरीक्षक, 12A/2 अधीक्षक, 12A/3 नमूना सील, 13A फार्म नंबर 33, 14A चालान शव, 15A फोटोलाश को देखकर कहा कि यह मैंने तैयार किये थे, मैं अपना लेख व हस्ताक्षर को साबित करता हूं, जिन पर **प्रदर्श क–6 लगायत 11** डाला गया। इस सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

30– बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी०डब्लू० –5 द्वारा कथन किया गया है कि– मुझे पंचायतनामा करने हेतु मेरी रवानगी जी०डी० नंबर 15 से दिनांक–05.12.2022 को की गयी थी, आदेश थाना प्रभारी देते हैं। जी०डी० नंबर 15 का मैंने अवलोकन किया था, जिसमें सतेन्द्र द्वारा नशीला पदार्थ खा लेने से उसकी हो गयी है, अंकित था। पंचायतनामा के समय जो लोग मौजूद थे, उनमें से पांच लोगों को पंच बनाया था। पंचायतनामा की कार्यवाही सुबह 09.07 बजे शुरू किया था तथा 10.00 बजे समाप्त किया था। पंचायतनामा के समय तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था। पंचों की राय पंच में से किसी एक से लिखवायी थी, जिस पंच का नाम रामकुमार है। मैंने शव का अवलोकन समक्ष पंचान किया था। मैंने शव के शरीर पर जो कपड़े आदि पाये थे, उसका विवरण पंचायतनामा में कर दिया था। मैंने शव के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पायी थी। शव के दोनों में हाथों में टैटू बना था। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि मेरे बयान किस तारीख को लिये गये थे। यह कहना गलत है कि पंचायतनामा की कार्यवाही मैंने एण्टी डेटिड एण्टी टाइम की हो। यह कहना गलत है कि मैंने स्वयं पंचायतनामा न किया हो तथा थाने पर बैठकर पंचनामा की कार्यवाही की हो। यह कहना गलत है कि आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हूं।

31– **उपरोक्त साक्षी प्रकरण का पंचायनामाकर्ता साक्षी है। उक्त साक्षी द्वारा मृतक का पंचायतनामा तैयार करने का कथन किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा पंचायतनामा को प्रदर्श क–5, प्रतिसार निरीक्षक को सम्बोदित प्रार्थनापत्र को प्रदर्श क –6, अधीक्षक मऊरानीपुर जिला चिकित्सालय झांसी को सम्बोधित प्रार्थनापत्र को प्रदर्श क –7, नमूना शील मोहर को प्रदर्श क–8, पुलिस फार्म नं० –33 को प्रदर्श क–9, चालान शव को प्रदर्श क–10, फोटो लाश को प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया गया है।**

32– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत **साक्षी पी०डब्लू०–6 वीर सिंह** ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि– मैं दिनांक–05.12.2022 को थाना मऊरानीपुर में बतौर एस०एस०आई के पद पर तैनात था। उसी दिनांक को मेरे द्वारा उपरोक्त मुकदमा की विवेचना ग्रहण की गई थी और उसी दिनांक को सी०डी० का पर्चा सं०–1 किता किया गया था, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक कानि० मोहर्रर श्याम बाबू किता किया था। पर्चा सं० –2 दिनांक–06.12.2022 किता किया था। पर्चा सं० –3 दिनांक–08.12.2022 जिसमें अवलोकन मृतक सतेन्द्र उर्फ ढुडकन का पंचायतनामा, अवलोकन पोस्ट र्टम रिपोर्ट किता किया था। पर्चा सं० –4 दिनांक–09.12.2022 जिसमें बयान पंचायतनामा भरने वाले उपनिरीक्षक प्रशांत यादव का बयान किता किया था। पर्चा सं० –5 दिनांक–11.12.2022 जिसमें बयान वादिया श्रीमती मीरा खंगार व वादी के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार की थी। नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज सं०–17A के रुप में मौजूद है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। पर्चा सं० –6 दिनांक–15.12.2022 किता किया था। पर्चा सं० –7 दिनांक–

17.12.2022 जिसमें बयान पंचान रामकुमार के सबसे सोनू, हाकिम सिंह खंगार, किशन सिंह किता किया था। पर्चा सं० –8 दिनांक–18.12.2022 जिसमें बयान पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उदल श्रीवास का बयान किता किया था। पर्चा सं० –9 दिनांक–20.12.2022 जिसमें अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह के द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने के सम्बन्ध में पर्चा का इन्द्राज किया था। पर्चा सं० –10 दिनांक–24.12.2022 किता किया था। पर्चा सं०–11 दिनांक–02.12.2022 जिसमें प्रार्थिया/ वादिया मीरा द्वारा दिये गये शपथपत्र का अवलोकन किया था। पर्चा सं० –12 दिनांक–30.12.2022 जिसमें बयान अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह का बयान जिला कारागार झाँसी में जाकर किता किया था। पर्चा सं० –13 दिनांक–07.01.2023 जिसमें एफ०एस०एल० में दाखिल रिसीविंग का अवलोकन किया था। एफ०एस०एल० की रिसीविंग की प्रति पत्रावली पर कागज सं०–21A मौजूद है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर **<u>प्रदर्श क–13</u>** डाला गया। पर्चा सं०–14 दिनांक–09.01.2023 जिसमें वादिया द्वारा जो शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में वादिया का बयान अंकित किया था। पश्चात बयान स्वतंत्र साक्षी करन, कैलाश चन्द्र किता किया था। पर्चा सं०–15 दिनांक–11.01.2023 जिसमें बयान स्वतंत्र साक्षी मनोज कुमार, गौरव किता किया था व अन्य अभियुक्त बृजेश पुत्र मल्लन श्रीवास का घटना में सरीक होना नहीं पाया गया था। पर्चा सं०–16 दिनांक–16.01.2023 किता किया था। पर्चा सं०–17 दिनांक–16.01.2023 जिसमें बयान डॉक्टर क्षितिज नाथ किता किया था व मृतक सतेन्द्र का ईलाज जो ए–लाईफ मल्टी स्पेशस्लिीटी हॉस्पिटल में ईलाज हुआ था। उस रिपोर्ट का इन्द्राज व ईलाज सम्बन्धि प्रपत्र सी०डी० संलग्न किया थे। पर्चा सं० –18 दिनांक–20.01.2023 जिसमें पुनः बयान किशन पुत्र बृजभान किता किया था। पर्चा सं०–19 दिनांक–25.01.2023 जिसमें बयान स्वतंत्र साक्षी महेन्द्र आर्या, दिनेश रायकवार किता किया था। पर्चा सं०–20 दिनांक–30.01.2023 किता किया था। पर्चा सं०–21 दिनांक–04.02.2023 जिसमें स्वतंत्र साक्षी कमलेश कुशवाहा, राहुल कुशवाहा, श्रीपथ खंगार किता किया था व तमामी विवेचना के पश्चात साक्ष्य के अभाव में बृजेश पुत्र मल्लन का नाम उपरोक्त मुकदमें से पृथक किया था। पर्चा सं०–22 दिनांक–05.02.2023 जिसमें बयान आरोपी बृजेश श्रीवास किता किया था व तमामी विवेचना पश्चात अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र सं० –57/23 न्यायालय पेश किया था। आरोपपत्र पत्रावली पर कागज सं०–3A/1 लगायत 3A/5 के रुप में मौजूद है, जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर तैयार कराया गया था। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, मैं हस्ताक्षर व आरोपपत्र की शिनाख्त करता हूं, जिस पर **<u>प्रदर्श क–14</u>** डाला गया।

33– बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी०डब्लू०–6 द्वारा कथन किया गया है कि– मेरे समय थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी, दो लोग राजा प्रवेन्द्र व बृजेश। दिनांक–05.12.2022 समय 12.11 मिनट पर लिखी गई थी। वादिया थाने पर तहरीर लेकर आयी थी। उनके आदेशानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित

की गई थी, जो एम्बुलेन्स झांसी मृतक के ईलाज हेतु गई थी, उस समय मेरे थाने का कोई कर्मचारी साथ में नहीं गया था, क्योंकि उन्होंने कोई भी सम्बन्ध में सूचना नहीं दी थी।

34– बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा दिनांकित–16.05.2025 में साक्षी पी०डब्लू०–6 द्वारा कथन किया गया है कि– यह बात सही है कि मेरे न्यायालय में दिये बयानों में नकल चिक, नकल रपट किता करने का कोई समय अंकित नहीं कराया है। जब मृतक ने जहर खाया था, मैं मौके पर नहीं था। यह बात सही है कि पत्रावली पर मौजूद पेपर सं०–22A जो कि सी०डी० का है, का उल्लेख मैंने मुख्य परीक्षा में नहीं किया है। यह बात सही है कि पत्रावली पर मौजूद पेपर सं०–24A/1 लगायत 24A/10 जो कि मेडिकल से सम्बन्धित प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न है , जो कि प्रमाणित है और मूल कागजात नहीं है। मेरे द्वारा मृतक की डॉक्टरी सी०एच०सी० मऊरानीपुर में नहीं कराई गई है। प्रश्न– पत्रावली पर मौजूद पेपर सं०–19A/2 जो कि वादिया द्वारा दिया गया है, जिस पर नोटरी नहीं है, मात्र दस रूपए के स्टॅाम्प है, आपका इस सम्बन्ध में क्या कहना है? उत्तर– नोटरी नहीं है, स्टॅाम्प क्रेता की मोहर लगी है और उसमें वादिया के हस्ताक्षर हैं। प्रश्न– उपरोक्त शपथ पत्र पर कोई भी दिनांक अंकित नहीं है, आपका इस सम्बन्ध में क्या कहना है? उत्तर– वादिया द्वारा उच्च अधिकारियों को देने की दिनांक अंकित नहीं है। मुझे जो वादिया द्वारा शपथपत्र उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुआ था , उसके सम्बन्ध में मैंने दिनांक–27.12.2022 को पर्चा किता किया था। मेरे पूर्व बयानों में दिनांक–27.12.2022 को किता पर्चे का कोई जिक्र नहीं है। यह बात सही है कि पर्चा सं०–10 दिनांक–24.12.2022 को किता किया था, क्या किया था, इसका विवरण मेरी न्यायालय में हुई मुख्य परीक्षा में नहीं है। यह बात सही है कि पर्चा सं० –11 दिनांक–02.12.2022 को मुख्य परीक्षा में सहवन अंकित हो गया था, जबकि पर्चा नं० –11 दिनांक–27.12.2022 को किता किया है, सही है। पेपर सं०–19A जो कि वादिया द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर दिनांक–13.12.2022 का प्रार्थनापत्र मय शपथ है, मुझे 13.12.2022 को प्राप्त हुआ था, यह मुझे थाने से प्राप्त हुआ था तथा यह कहना सही है कि इसका कोई लिफाफा पत्रावली पर संलग्न नहीं है। प्रश्न – क्या उक्त प्रार्थना पर किसी पुलिस अधिकारी की मोहर लगी है? उत्तर– नहीं लगी है। प्रश्न– वादिया के बयान आपने कब लिये थे? उत्तर– दिनांक–11.12.2022 को लिये थे, किस समय लिये थे समय याद नहीं है, मैंने अस्पताल के पास बयान लिये थे और किसी गवाह के बयान उस समय नहीं लिये थे। मृतक व अभियुक्त का मेरे द्वारा धारा–151 दं०प्र०सं० मे कोई चालान नहीं किया गया था। प्रश्न– अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र का आत्मसमर्पण दिनांक–17.12.2022 का प्रार्थनापत्र पेपर सं०– 28B/10 केस डायरी में संलग्न है या नहीं है? उत्तर– मुझे याद नहीं है। नक्शानजरी के समय मैंने वादिया मुकदमा को बुलाया था, उसी की निशादेही पर नक्शानजरी बनाया था, मैंने नक्शानजरी में हस्ताक्षर नहीं कराये थे। प्रश्न – डॉ० सत्येन्द्र के बयान क्या आपने लिये थे या नहीं लिये थे? उत्तर– मुझे याद नहीं है, लिये थे या नहीं। यह कहना गलत है कि मैं आज झूठा बयान दे रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि मैंने थाने पर बैठकर झूठी विवेचना की हो तथा गलत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया हो।

35– उपरोक्त साक्षी प्रकरण का विवेचक है। उक्त साक्षी द्वारा विवेचना ग्रहण करते हुए एफ०आई०आर० लेखक, पंचायतनामा भरने वाले उपनिरीक्षक एवं वादिनी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया गया और साक्षीगण के साक्ष्य अंकित किये गये एवं साक्ष्य संकलन के उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। उक्त साक्षी ने नक्शानजरी घटनास्थल को प्रदर्श क –12, एफ०एस०एल० की रिसीविंग प्रति को प्रदर्श क–13 व आरोपपत्र को प्रदर्श क–14 के रुप में साबित किया है।

36– बचाव पक्ष की ओर से **कुल 01** साक्षी का साक्ष्य अंकित कराया गया है। सर्वप्रथम इस साक्षी के साक्ष्य को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा।

37– बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी **डी०डब्लू०–1 दृगपाल** ने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि– दीक्षित के मकान में प्रवेन्द्र व मृतक सतेन्द्र रहता था। इसकी माँ भी रहती थी। दोनों लोगों से किराया लेते थे। एम्बुलेन्स के चक्कर में मृतक की ब्रजेश से लडाई हुई थी। उसी लड़ाई में पुलिस ने ब्रजेश व (सतेन्द्र मृतक) मऊरानीपुर थाना में बन्द हुए थे। एस०डी०एम० मऊरानीपुर में इसकी मां मीरा ने जमानत कराई थी। मुझे न्यायालय का सम्मन प्राप्त हुआ था। उसी के बाद आज गवाही देने आया हूं।

38– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी डी०डब्लू०–1 द्वारा कथन किया गया है कि– यह बात सही है कि ब्रजेश की सतेन्द्र से लड़ाई हुई थी। तारीख लडाई की याद नहीं है। लडाई में काफी लोग थे, नाम नहीं जानता। मैं राजा उर्फ प्रवेन्द्र को जानता हूं। मारपीट के समय राजा उर्फ प्रवेन्द्र मौजूद नहीं था। मैंने एक बार ब्रजेश व सतेन्द्र की लड़ाई देखी थी। फिर नहीं हुई हो तो मैं नहीं बता सकता। मेरे सामने सतेन्द्र, प्रवेन्द्र उर्फ राजा की लड़ाई नहीं हुई थी। यह सही है कि मेरे सामने कोई लड़ाई नहीं हुई थी, अगर सतेन्द्र व प्रवेन्द्र उर्फ राजा को की कोई लड़ाई हुई हो तो मैं नहीं बता सकता।

39– धारा–354(1) (बी) दं०प्र०सं० 1973 के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सापेक्ष प्रकरण में सुगम साक्ष्य सम्प्रेक्षण हेतु तथा उपरोक्त वर्णित अपराधों के अव्ययों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण को निर्णीत करने हेतु निम्नलिखित विनिश्चयात्मक बिन्दु (विवादक बिन्दु) विरचित किये जाते हैं।

1–क्या घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित है?

2–क्या दिनांक–04.12.2022 को अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के पुत्र सत्येन्द्र उर्फ ढुडकन को गालियां व धमकियां देकर अपमानित किया, जिससे क्षुब्ध एवं दुष्प्रेरित होकर वादिनी मुकदमा के पुत्र/मृतक ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली?

<u>विनिश्चयात्मक बिन्दु सं०–1 पर निष्कर्ष–</u>

40– विनिश्चायक बिन्दु सं०–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित है।

41– प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित तहरीर प्रदर्श क–1 जो कि पी०डब्लू० –1 वादिनी मुकदमा मीरा खंगार द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है, पत्रावली पर मौजूद है। तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा द्वारा तहरीर दिनांकित –05.12.2022 में घटना की तिथि 04.12.2022 बतायी गयी है तथा कथन किया गया है कि उसके पुत्र सत्येन्द्र को राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह व ब्रजेश ने गालियां व धमकियां दी थी, जिससे क्षुब्ध होकर उसके बेटे सत्येन्द्र ने आत्महत्या कर ली है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना मऊरानीपुर, झांसी में दिनांक–05.12.2022 को समय 12.11 बजे अभियुक्तगण राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह व ब्रजेश के विरूद्ध मु०अ०सं० –560/2022 अन्तर्गत धारा–306 भा०दं०सं० पंजीकृत किया गया। अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित–03.02.2024 में पी०डब्लू० –1 वादिनी मुकदमा द्वारा यह कथन किया गया है कि <u>................फिर मैंने दिनांक–05.12.2022 को थाना मऊरानीपुर जाकर एक प्रार्थनापत्र किसी से बोलकर लिखवाकर, सुनकर अपने हस्ताक्षर करके थाने पर रिपोर्ट के लिए दिया था, जिस पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी।</u> साक्षी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की गयी तथा तहरीर को साबित किया गया, जिस पर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3 हे०कां0 श्याम बाबू द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि <u>दिनांक–05.12.2022 को मैं थाना मऊरानीपुर में बतौर कांस्टेबल क्लर्क कार्यलेखक के पद पर तैनात था। उसी दिनांक को मेरे समक्ष वादी मुकदमा श्रीमती मीरा पत्नी आज्ञाराम ने थाने पर आकर एक किता हस्तलिखित प्रार्थनापत्र दिया था, उस प्रार्थनापत्र के आधार पर मैंने मु०अ०सं०–560/2022 धारा–306 भा०दं०सं० बनाम राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह, ब्रजेश के विरूद्ध समय 12.11 बजे मुकदमा पंजीकृत किया था।...........प्रथम सूचना रिपोर्ट का उल्लेख मैंने कायमी जी०डी० संख्या–28 दिनांकित–05.12.2022 समय 12.11 बजे अंकित किया था।</u> साक्षी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व नकल कायमी जी०डी० को साबित किया गया, जिस पर **प्रदर्श क–2** व **प्रदर्श क–3** अंकित किया गया।

42– उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना दिनांक –04.12.2022 की है। वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक–05.12.2022 की दोपहर करीब 12 बजे सम्बन्धित थाने पर तहरीर प्रस्तुत की गयी, जिसके आधार पर पी०डब्लू०–3 द्वारा प्रकरण की चिक किता की गयी तथा मुकदमे का खुलासा कायमी जी०डी० सं०–28 में उसी दिन व समय में किया गया। यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा के पुत्र सत्येन्द्र उम्र लगभग 23 वर्ष की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुयी है। ऐसे में वादिनी मुकदमा तथा परिजनों का मानसिक रूप से विचलित होना अत्यन्त स्वाभाविक है। ऐसे में प्रथम सूचना

रिपोर्ट दर्ज कराने में जो भी विलम्ब कारित हुआ है वह सद्भाविक है तथा इस विलम्ब का प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ेगा। **<u>तदनुसार विनिश्चायक बिन्दु सं०–1 निस्तारित किया जाता है।</u>**

<u>विनिश्चयात्मक बिन्दु सं०–2 पर निष्कर्ष–</u>

43– विनिश्चायक बिन्दु सं०–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दिनांक–04.12.2022 को अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के पुत्र सत्येन्द्र उर्फ ढुडकन को गालियां व धमकियां देकर अपमानित किया, जिससे क्षुब्ध एवं दुष्प्रेरित होकर वादिनी मुकदमा के पुत्र/मृतक ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली।

44– प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आत्महत्या के दुष्प्रेरण हेतु आरोप विरचित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–306 में प्रावधानित है। उक्त प्रावधान के अनुसार इस अपराध के निम्नलिखित आवश्यक अवयव हैं–

1. किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किया जाना।
2. आत्महत्या दुष्प्रेरण का परिणाम होना।
3. ऐसा दुष्प्रेरण अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना।

45– प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की धारा–306 भा०दं०सं० में दोषसिद्धि हेतु यह आवश्यक है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करे कि मृतक द्वारा आत्महत्या कारित की गयी, यह आत्महत्या दुष्प्रेरण का परिणाम थी तथा यह दुष्प्रेरण अभियुक्त द्वारा भा०दं०सं० की धारा–107 में प्रावधानित रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा किया गया है।

46– सर्वप्रथम प्रकरण में मृतक/वादिनी के पुत्र की मृत्यु के सम्बन्ध में परिचर्चा किया जाना आवश्यक है।

47– आत्महत्या के दुष्प्रेरण हेतु सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम अभियोजन यह साबित करें कि मृतक द्वारा अपनी जीवनलीला स्वयं समाप्त की गयी है अर्थात उसकी मृत्यु स्वाभाविक न होकर अस्वाभाविक हो तथा ऐसी मृत्यु उसके द्वारा साशय व अपनी इच्छा से कारित की गयी हो। अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–1 के रूप में वादिनी मुकदमा मीरा खंगार को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि <u>................राजा उर्फ प्रवेन्द्र के इस तरह धमकाने से मेरा बेटा डर गया और क्षुब्ध हो गया और मेरे बेटे ने राजा उर्फ प्रवेन्द्र के उकसावे में आकर कि जाकर कही मर जा, इस कारण से सल्फास खा लिया। सल्फास खाने के बाद मेरा बेटा चिल्लाया था, मैं पास में ही थी, मैंने उससे पूछा था तो उसने वो बात बताई और कहा कि सल्फास खा लिया है।</u>.................. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू०–2 ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि <u>दिनांक–04.12.2022 को मेरी</u>

बहन ने मुझे फोन किया कि सतेन्द्र उर्फ ढुडकन ने सल्फास खा ली है। सतेन्द्र की मृत्यु हो गई है।............जब मेरे भांजे सतेन्द्र का पंचायतनामा दरोगा जी भर रहे थे............जिसमें मैंने सुना था कि राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह मेरे भांजे सतेन्द्र को बहुत प्रताडित करता था, इसी कारण से मेरे भांजे सतेन्द्र ने सल्फास खायी तथा उसकी मृत्यु हो गई।

48– अभियोजन की ओर से पी०डब्लू–5 के रूप में उ०नि० प्रशान्त यादव को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि ....दिनांक–05.12.2022 को सी०एच०सी० मऊरानीपुर मय हमराह होमगार्ड भगवानदास के साथ जाकर सतेन्द्र उर्फ ढुड़कन के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही की थी।.........मौके पर मौजूद लोगों में से रामकुमार, केशव सिंह, सोनू, हाकिम सिंह व किशन को पंच नियुक्त किया था।............शरीर पर चोट के निशान नजर नहीं आ रहे थे। दाहिने कान के अन्दर से खून रिस रहा था। पंचों की राय ली थी कि मृतक सतेन्द्र की मृत्यु किसी विषाक्त पदार्थ खा लेने से होना प्रतीत होती है।...........मेरी राय भी पंचों की राय से मेल खाती थी। साक्षी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामें पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की गयी तथा पंचायतनामें को साबित किया गया, जिस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया।

49– इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्षी पी०डब्लू–6 डॉ० उदल श्रीवास, जिनके द्वारा मृतक के शव का विच्छेदन किया गया है, के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना समीचीन होगा। उपरोक्त साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक–05.12.2022 को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर में बतौर चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन मेरे समक्ष मृतक सतेन्द्र उर्फ ढुडकन का शव, सर्वसील हालत में होमगार्ड 810 भगवानदास थाना मऊरानीपुर मय पुलिस प्रपत्रों के लेकर आये थे।.............शव का विच्छेदन मैंने दिनांक–05.12.2022 को दोपहर 03.00 बजे आरम्भ किया था तथा दोपहर 04.00 बजे समाप्त किया था।............शव परीक्षण के दौरान शव सामान्य कद काठी का था, उसकी लम्बाई 163 सेमी० थी। पूरे शरीर पर अकडन मौजूद थी, आंखे बन्द थी।........शव पर कोई बाहरी चोट नहीं थी।........मेरी राय में मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने के समय से 18 घण्टे पूर्व होना सम्भव है।............ प्रति परीक्षा में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि ....शव की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने के लगभग 18 घण्टे पूर्व होना सम्भव है। यह बात सही है कि मृतक की मृत्यु का स्पष्ट कारण पी०एम० करते समय पता नहीं चला था।..........मैंने शव पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई थी।

50– उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण अपने साक्ष्य के माध्यम से मृत्यु का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, जिस कारण विसरा प्रिजर्व करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला

राजगढ़, झाँसी की रिपोर्ट प्रदर्श क–15 कागज संख्या–49 ख के रूप में पत्रावली पर मौजूद है, जिसमें विसरा के भागों (1–5) में एल्यूमिनियम फास्फाइड विष पाया जाना अंकित है। इस प्रकार यह उल्लेखनीय है कि मृतक के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई है, जो निश्चित रूप से यह निष्कर्षित करती है कि मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व सल्फास खाने के कारण हुई है।

51– इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि मृतक की मृत्यु अस्वाभाविक हुई है तथा मृत्यु का कारण मृतक द्वारा स्वयं सल्फास (एल्यूमिनियम फास्फाइड विष) खाया जाना है।

52– आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप को सिद्ध किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन यह सिद्ध करे कि आत्महत्या दुष्प्रेरण का परिणाम थी। अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के पुत्र को अभियुक्त द्वारा गालियां व धमकियां दी गई, जिस कारण उसके द्वारा सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली गयी।

53– इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा द्वारा न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होकर अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से इस आशय का साक्ष्य दिया गया है कि ....राजा उर्फ प्रवेन्द्र, जो मेरे लड़के सत्येन्द्र से आये दिन बदतमीजी करता था, क्योंकि उसका एम्बुलेन्स चलाने को लेकर मेरे बेटे से झगड़ा होता था.........राजा उर्फ प्रवेन्द्र ने मेरे बेटे सत्येन्द्र को धमकी दी थी और गालियां देते हुए कहा था कि यहां एम्बुलेन्स मत चलाओ, जाकर मर जाओ......... इस कारण से सल्फास खा लिया।.......सल्फास खाने के बाद मेरा बेटा चिल्लाया था, मैं पास में ही थी।......... अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से साक्षी द्वारा अभियुक्त तथा मृतक के मध्य एम्बुलेन्स चलाने को लेकर झगड़ा होने तथा अभियुक्त द्वारा मृतक को गालियां व धमकी दिये जाने के कारण मृतक द्वारा आत्महत्या किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, परन्तु साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि ....तहरीर में जिस अभियुक्त ब्रजेश पुत्र मल्लन सिंह लिखा था, उसने मेरे लड़के से गाली गलौज की थी और कहा था कि मर जा साले।.............जब मेरे लड़के ने जहर खाया तब मैं रूम पर थी। यह बात सही है कि मऊरानीपुर सी०एच०सी० में जहर खाया था।........घटना के दो दिन पहले मेरी व मेरे लड़के की लडाई मुल्जिम से हुई थी। ये लड़ाई इस बाबत थी कि मेरा लड़का गाडी क्यों चलाता है।........घटना के दो दिन पूर्व वाली लडाई से पूर्व छोटी मोटी लडाईयां होती रही, लेकिन मैं थाने नहीं गई।...........जब मेरे लड़के ने सल्फास खायी थी तो मैं वहां मौजूद नहीं थी। वह मेरे सामने चिल्लाया था, क्योंकि उसने सल्फास खा ली थी।.........मैं नहीं बता सकती कि मेरे लड़के ने जहर किस जगह पर खाया था। मैं अपने लड़के से एम्बुलेन्स गाडी में मिली थी। मेरे लड़के ने जहर खाने की बात नहीं बताई थी तब मैंने अपने लड़के

से पूछा तो उसने बताया था कि मैंने सल्फास खा ली है।.....मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था।............. इस प्रकार साक्षी द्वारा यद्यपि मुख्य परीक्षा में अभियुक्त के विरूद्ध बदतीजी व गाली गलौज करने व धमकी देने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में उसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि ब्रजेश ने मेरे लड़के को गाली गलौज की थी और ब्रजेश न कहा था कि मर जा साले। जब उसके लड़के ने जहर खाया तब वह रूम पर थी। साक्षी द्वारा मृतक ने किस जगह पर जहर खाया, उस जगह को बताने में अनभिज्ञता जाहिर की गई है। अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–2 के रूप में मृतक के मामा रामकुमार को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी द्वारा न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होकर अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से सशपथ कथन किया गया है कि ....जब मेरे भांजे सतेन्द्र का पंचायनामा दरोगा जी भर रहे थे, उस समय काफी भीड़ लगी हुई थी, जिसमें मैंने सुना था कि राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह मेरे भांजे सतेन्द्र को बहुत प्रताड़ित करता था, इसी कारण से मेरे भांजे सतेन्द्र ने सल्फास खायी।............... साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिये गये साक्ष्य के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसके भांजे/मृतक को प्रताडित किया जाता था। यह भी कथन किया गया कि उसने पंचायतानामा के दौरान सुना था कि राजा उर्फ प्रवेन्द्र उसके भांजे को प्रताड़ित करता था। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया गया है कि ....मेरे सामने मृतक ने सल्फास नहीं खायी थी। मुझे दरोगा जी ने पंचनामा नहीं पढाया था। इसी स्तर पर यह स्पष्ट किया जाना समीचीन होगा कि साक्षी पी०डब्लू०–5 उपनिरीक्षक प्रशान्त यादव के अतिरिक्त अन्य किसी पंचान साक्षी को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है, जो साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य की पुष्टि करता हो। यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ने केवल लोगों से सुनने के आधार पर साक्ष्य दिया गया है।

54– अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्थिति प्राप्त होती है कि मृतक की माता व मामा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से अभियुक्त द्वारा मृतक को गालियां देने व धमकी देने एवं प्रताड़ित किये जाने तथा प्रताड़ना के फलस्वरूप मृतक द्वारा सल्फास खाना बताया गया है, परन्तु अपनी प्रति परीक्षा में साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा ब्रजेश द्वारा मृतक को गाली देने व मर जाने की कहने और घटना से दो दिन पहले उसकी व उसके लडके की लडाई मुल्जिम से होने और लड़के के सल्फास खाने के समय वहां पर मौजूद न होने का कथन किया गया गया है। मृतक के मामा द्वारा इस आशय का कथन किया गया है कि उसके सामने मृतक ने सल्फास नहीं खाई थी। साक्षी पी०डब्लू०–4 डॉ० उदल श्रीवास ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि शव पर कोई बाहरी चोट नहीं थी।

55– भारतीय दण्ड संहिता की धारा–107 दुष्प्रेरण की रीतियों को प्रावधानित करती है जो निम्नवत है– **वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो पहला– उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता हैः अथवा दूसरा– उस**

बात को करने के लिए किसी षड्यन्त्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षड्यन्त्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उददेश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए अथवा तीसरा– उस बात के लिए किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1– जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यर्पदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2– जो कोई या तो किसी कार्य के किये जाने से पूर्व या किये जाने के समय, उस कार्य के किये जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और एतद्द्वारा उसके किये जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य को करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

56– इस स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Ude Singh & Ors. Vs. State of Haryana, 2019 17 SCC 301** विधिक सहायता प्रदान करती है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस आशय का विधिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है कि "In cases of alleged abetment of suicide, there must be a proof of direct or indirect acts of incitement to the commission of suicide. It could hardly be disputed that the question of cause of a suicide, particularly in the context of an offence of abetment of suicide, remains a vexed one, involving multifaceted and complex attributes of human behavior and responses/reactions. In the case of accusation for abetment of suicide, the Court is required to look for cogent and convincing proof of the act/s of incitement to the commission of suicide. In the case of suicide, mere allegation of harassment of the deceased by another person would not suffice unless there be such action on the part of the accused which compels the person to commit suicide and such an offending action ought to be proximate to the time of occurrence. Whether a person has abetted in the commission of suicide by another or not, could only be gathered from the facts and circumstances of each case.”

57– इस स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **S.S.Cheena Vs. Vijay Kumar Mahajan and Anr. (2010) 12 SCC 190** विधिक सहायता प्रदान करती है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस आशय का विधिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है कि “Abetment involves a mental process of instigating a person or intentionally aiding a person in doing of a thing. Without a positive act on the part of the accused to instigate or aid in committing suicide, conviction cannot be sustained. The intention of the legislature and the ratio of the cases decided by the Supreme Court is clear

that in order to convict a person under Section 306 IPC there has to be a clear mens rea to commit the offence. It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide seeing no option and that act must have been intended to push the deceased into such a position that he committed suicide.”

58– भारतीय दण्ड संहिता की धारा–306 में दोषसिद्धि हेतु एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अवयव यह है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करे जो यह इंगित करे कि अभियुक्त द्वारा कारित किया गया कार्य मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाय जाने हेतु किया गया था। साथ ही साथ यह भी साबित किया जाये कि उकसाये गये व्यक्ति के समक्ष आत्महत्या के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष ही न हो। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **M. Arjunan Vs. State, Represented by its Inspector of Police (2019) 3 SCC 315** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस आशय का विधिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है कि “The essential ingredients of the offence under Section 306 I.P.C. are (i) the abetment; (ii) the intention of the accused to aid or instigate or abet the deceased to commit suicide. The act of the accused, however, insulting the deceased by using abusive language will not, by itself, constitute the abetment of suicide. There should be evidence capable of suggesting that the accused intended by such act to instigate the deceased to commit suicide. Unless the ingredients of instigation/abetment to commit suicide are satisfied, accused cannot be convicted under Section 306 I.P.C”

59– माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Nipun Aneja and others vs State of U.P. Cri. Appeal No. 654/2017 Decided on 03 Oct, 2024** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस आशय का विधिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है कि “The ingredients to constitute an offence u/s 306 of the IPC would stand fulfilled if the suicide is committed by the deceased due to direct and alarming encouragement /incitement by the accused leaving no option but to commit suicide.”

60– पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से मृतक को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में मौखिक साक्ष्य तो अवश्य प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा मृतक को प्रताड़ित करते हुए देखे जाने से स्पष्ट इंकार किया गया है। साक्षीगण के साक्ष्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर कोई प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा प्रताड़ित किये जाने के फलस्वरूप मृतक द्वारा सल्फास खाकर आत्महत्या की गयी हो। धारा–306 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जायें कि पीड़ित व्यक्ति के पास आत्महत्या के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष न रह जाये।

61– अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त तथा मृतक के मध्य एम्बुलेन्स चलाने को लेकर मन–मुटाव रहता था तथा इसी मन–मुटाव के चलते दिनांक–04.12.2022 समय करीब 9 बजे मृतक द्वारा सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली गई। यद्यपि अभियोजन उपरोक्त तथ्य को साबित करने में विफल रहा है, परन्तु यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त द्वारा मृतक को यह कहा गया था कि "जा जाकर मर जा" तब भी ऐसी परिस्थिति में यह निष्कर्षित नहीं होता है कि मृतक के पास अभियुक्त द्वारा प्रताड़ित किये जाने के फलस्वरूप आत्महत्या के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से भारतीय दण्ड संहिता की धारा–306 के आवश्यक अवयव साबित नहीं होते हैं और न ही पूर्व प्रस्तरों से माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में प्रकरण में धारा –306 भा०दं०सं० का अपराध गठित नहीं होता है।

62– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह प्रकट होता है कि अभियोजन मृतक की अस्वाभाविक मृत्यु को साबित करने में तो सफल रहा है, परन्तु अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक–04.12.2022 को अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा के पुत्र/मृतक को गाली गलौच व धमकी देकर प्रताड़ित किया गया तथा उक्त प्रताड़ना के फलस्वरूप मृतक ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली और न ही यह साबित किया जा सका है कि अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य का सीधा सम्बन्ध मृतक की आत्महत्या से था तथा मृतक के पास आत्महत्या के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था। **तदनुसार विनिश्चायक बिन्दु सं0–2 निस्तारित किया जाता है।**

63– इस प्रकार उपरोक्त समस्त परिचर्चा, माननीय न्यायालयों की विधि व्यवस्थाओं एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के विश्लेषण से तथा विनिश्चयात्मक बिन्दुओं के निस्तारणोपरान्त स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष **अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह** पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–306 भा०दं०सं० को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है। अतः **अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह** अपराध अन्तर्गत धारा–306 भा०दं०सं० में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र वाद संख्या –1394/2023, मु०अ०सं०–560/2022, थाना–मऊरानीपुर, जिला झाँसी के मामले में अभियुक्त **राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह** को आरोप **अन्तर्गत धारा–306 भा०दं०सं०** में **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त **राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह** जमानत पर रहते हुए व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अतः उसके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं व प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त राजा उर्फ प्रवेन्द्र सिंह धारा –437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अन्दर दो सप्ताह मु० तीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू इस आशय से दाखिल करेगा कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील होती है तो जमानतदार सम्बन्धित अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने हेतु बाध्य होंगे और यदि वे अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही अग्रसारित की जायेगी। यह बन्धपत्र व जमानतनामा आगामी छः माह के लिए प्रभावी रहेगा।

कार्यालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 365 का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित करे।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संग्रहित की जावे।

दिनांक–12.06.2026 **(देवाशीष)**
आई०डी०–UP1596
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–2,
झाँसी।

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–12.06.2026 **(देवाशीष)**
आई०डी०–UP1596
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–2,
झाँसी।

Shubham Kumar, Steno